

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या - 58/2014 एवं 59/2014 जिला सीकर

1. महावीर
2. प्रहलाद
पुत्रान हरदेवाराम
3. मोनिका पत्नी संतोष
जाति कुमावत, निवासी सालासर बस स्टेण्ड के आगे, दुर्गा स्कूल के पास, सीकर
तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी मूलचन्द जाति कुमावत, निवासी मण्डावरा, तहसील धोद, जिला
सीकर ।
2. खेती देवी पत्नी राधाकिशन, जाति कुमावत, निवासी शेखावाटी स्कूल के पास,
लौसल, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
3. नवल किशोर पुत्र हरदेवाराम, जाति कुमावत, निवासी सालासर बस स्टेण्ड के आगे,
दुर्गा स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
4. रांतोष देवी पत्नी सांवरमल, जाति कुमावत, निवासी सरकारी हॉस्पिटल के पास,
लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
5. गोविन्द
6. अनिल
पुत्रान ग्यारसी लाल , जाति जांगिड, निवासी मौहल्ला शेखपुरा, तहसील व जिला
सीकर ।
7. सरपंच , ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील धोद , जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 19.9.2014

पारधत-

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,2,4 श्री एस.एल.कुमावत
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 5,6 श्री विजय कुमार जांगिड

अपील संख्या - 59/2014 जिला सीकर

1. गोविन्द
2. अनिल
पुत्रान ग्यारसी लाल , जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी मौहल्ला शेखपुरा, तहसील व
जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

अतिरिक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर

खेती देवी पुत्री रव. हरदेवाराम पत्नी राधाकिशन, जाति कुमावत, निवासी शेखावाटी
स्कूल के पास, लौसल, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.9.2014 के खिलाफ मुक्त खातेदार हरदेवाराम के पुत्र महावीर वगैहरा द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 58/2014 पर दर्ज की गई। इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद दिनांक 19.9.2014 के खिलाफ विवादित भूमि के क्रेता गोविन्द व अनिल पुत्रान ग्यारसी लाल जांगीड द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 59/2014 पर दर्ज की गई। दोनों अपीलों में अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

दोनों अपीलों प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपील संख्या 58/2014 उनवानी महावीर बनाम शान्ति में अपीलान्त एवं अपील संख्या 59/2014 उनवानी गोविन्द बनाम खेती में रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 के योग्य अधिवक्ता की बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरदेवाराम जाति कुमावत के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा दिनांक 20.3.2004 को अपीलान्त संख्या 1 व 2 महावीर, प्रहलाद व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नवल किशोर पुत्रान हरदेवाराम के नाम स्वीकार किया गया था। इसके बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नवल किशोर द्वारा उसके हिस्से की भूमि को जरिये दान पत्र अपीलान्त संख्या 3 नवलका पत्नी संतोष को दान करदी थी और दान पत्र के आधार पर नामांतरकरण अपीलान्त संख्या 3 के नाम स्वीकृत हो गया था। विवादित भूमि में से कुछ भूमि का मध्य रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 गोविन्द व अनिल पि. ग्यारसी लाल जांगीड को हुआ एवं मध्य पत्र के आधार पर क्रेताओं गोविन्द व अनिल के नाम नामांतरकरण भी स्वीकृत हो गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 संतोष देवी पुत्री मृतक खातेदार हरदेवाराम द्वारा एक दान उनवानी संतोष बनाम नवलकिशोर बाबत घोषणा, बंटवारे का न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्त संख्या 1 व 2 महावीर व प्रहलाद एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 शांति, खेती व संतोष के मध्य आपस में रोजनामा हुआ था कि खसरा नम्बर 805 रकबा 4.30 हैक्टेयर में से 6 बीघा भूमि प्राप्त करली व उसमें तारबन्दी कर ली तथा अन्य भूमि में अपने कोई अधिकार नहीं मानते हुये खसरा खारिज करने की इस्तदुवा करते हुये सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 20.12.2013 राजीनामा को पेश किया था जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दावा न्याय प्रेस में खारिज किया है। उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट खेती पुत्री हरदेवा राम वगैहरा द्वारा साढे 9 महीने बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी, जो गियाद बाहर थी तथा विवाद का कारण भी संतोषजनक नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने गियाद के बिन्दू पर कोई विचार किये बिना ही अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने में विधिक त्रुटि की रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। भूमि अपीलान्तस काबिज है, लेकिन इस तथ्य पर विचार न कर अपीलाधीन आदेश प्रारत करने में कानूनी भूल की है। उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट 1, 2 व 3 ने अपीलान्त संख्या 1 व 2 महावीर व प्रहलाद के हक में अधिकारों का सगोचन प्रलेख भी दिनांक 7.8.2013 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया था, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 शांति व खेती ने उक्त तथ्यों को छिपाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जो पूर्ण एवं विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा 6 बीघा कच्ची भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से व दावा वापिस

विभागाध्यक्ष
संभागाध्यक्ष
अधीनस्थ न्यायालय
सीकर

राम के पश्चात् अपीलान्त संख्या 1 व 2 के मन में कोई गलत बात न आ जावे, को ध्यान में रखते हुये उन्होंने अपीलान्त संख्या 1 व 2 से दावा खारिज करवाने के दिन ही अपने हक में 6 बीघा कच्ची भूमि का एक विक्रय अनुबन्ध भी किया था, जिसके तथ्य को छिपाते हुये निर्णय प्राप्त किया है जो सरसरे रूप से ही निरस्तनीय है। उनका कहना था कि अपीलान्त संख्या 1 व 2 पर विधिवत तामिल नहीं कराई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्त संख्या 3 मोनिका के हक में किया गया दान पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं होता तब तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि में कानून कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। पक्षकारों के मध्य विचाराधीन नियमित दावे के निरस्त होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं रहते। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट खेती की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील संख्या 58/2014 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 पश्चात् रखा जावे। उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2015 डी.एन.जे.(एस.सी.)1099 पेज 106 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

अपील संख्या 59/2014 उनवानी गोविन्द बनाम खेती में बहस के दौरान वकील अपीलान्त एवं अपील संख्या 58/2014 में रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6, गोविन्द व अनिल व योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार नवल उर्फ नवलकिशोर ने विवादित भूमियाँ अपीलान्त गोविन्द व अनिल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 22.8.2007 से 0.59 हैक्टेयर तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2007 से नवलकिशोर ने राजेन्द्र खटोड के हक में 0.44 हैक्टेयर, राजेन्द्र खटोड से नेत्रा शर्मा को 0.17 हैक्टेयर एवं नेत्रा शर्मा से अपीलान्त को 0.17 हैक्टेयर भूमि विक्रय हुई। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय करने पर अपीलान्त के नाम 0.59 हैक्टेयर व 0.17 हैक्टेयर कुल 0.76 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में कय आ रही है तथा अपीलान्त काबिज काश्त है। उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नवलकिशोर विवादित भूमियों में 1/2 हिस्से अर्थात् 5.54 हैक्टेयर में से 2.77 हैक्टेयर का खातेदार था जिसे धारा 42 आर.टी.एक्ट के तहत भूमि विक्रय करने का वैधानिक अधिकार था। उनका कहना था कि हरदेवाराम की विरासत के नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 को ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा गजगेआम में तस्दीक किया था जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही हरदेवाराम की तीनों पुत्रियों रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 व 7 खेती, शान्ति व संतोष को रही थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 18.10.2013 को मियाद बाहर पेश की थी। अपील से पहले रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 संतोष देवी ने न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष दावा संख्या 208/13 संतोष देवी बनाम नवलकिशोर बाबत खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा वटवारे का पेश किया था जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता हाजिर थे। इस प्रकार प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को प्रारम्भ से ही रही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 10 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना था कि नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकार रोक नहीं किये जा सकते। पक्षकारों के मध्य हक व अधिकारों के विचाराधीन दावे की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को थी। अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों के मध्य विचाराधीन दाद के निर्णय तक नामांतरकरण की फिसकल प्रोसीडिंग रोक देनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं कर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कहना

विनि
प्रतिरिक्त संभागीय प्राधिकर
जयपुर

था कि पक्षकारों के मध्य विचाराधीन दावा राजीनामों के आधार पर नोट प्रेस में खारिज हुआ था। राजीनामों के बाहर जाकर सद्भाविक, सप्रतिफलार्थ कयकर्ता अपीलान्त के हक अधिकार प्रभावित नहीं कर सकते। उनका कहना था कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते तब तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण महत्वपूर्ण विधिक तथ्यों को नजरन्दाज कर रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

दोनों अपीलों में रेस्पोंडेन्ट खेती, शान्ति व संतोष पुत्रियों मृतक खातेदार हरदेवाराम के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार हरदेवाराम था जिसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार हरदेवाराम की पुत्रियों खेती, शान्ति व संतोष को छोड़कर केशरी देवी बेवा हरदेवाराम, नवलकिशोर, महावीर प्रसाद, प्रहलाद राम पुत्रान हरदेवाराम के नाम स्वीकार कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट खेती, शान्ति व संतोष हरदेवाराम की जायन्दा पुत्रियाँ हैं और वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी हैं। उनका कहना था अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त किया है एवं नामांतरकरण हरदेवाराम के विधिक वारिसान के नाम करने की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः दोनों अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरदेवाराम की विरासत का है। हरदेवाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2003 केशरी देवी बेवा हरदेवाराम, नवल किशोर, महावीर प्रसाद व प्रहलादराम पुत्रान हरदेवाराम के नाम ग्राम पंचायत कंवरपुरा द्वारा तस्दीक किया गया है। रेस्पोंडेन्ट खेती, शान्ति व संतोष मृतक खातेदार हरदेवाराम की पुत्रियाँ अपने से पिता की सम्पत्ति में हक चाहती हैं। अपील संख्या 59/2014 के अपीलान्त व अपील संख्या 58/2014 के रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 गोविन्द व अनिल विवादित भूमि के आरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र केता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से खेती देवी वगैहरा की अपील स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किया है तथा प्रकरण में विवादित आराजियात का नामांतरकरण हरदेवाराम के विधिक वारिसान के नाम करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया है। चूंकि प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 20.3.2004 के खिलाफ खेती देवी वगैहरा द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2013 को 10 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण रेस्पोंडेन्ट द्वारा आराजियात को विक्रय करने एवं उन्हें वेदखल करने की धमकी दिये जाने पर नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 1.10.2013 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। यह मानने योग्य नहीं है कि किसी पुत्र या पुत्री को उनके पिता की विरासत के नामांतरकरण का ज्ञान समय पर नहीं हो। मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये था, लेकिन मियाद के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना ही सुपावगुण पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट नवलकिशोर के तामील नोटिस पर नवलकिशोर के

दिनांक
प्रतिरिक्त संभागीय प्रायश्चित्त
जयपुर

हस्ताक्षर नहीं होकर सतीश नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं एवं रेस्पॉन्डेंट प्रहलाद के तामिल नोटिस पर प्रहलाद के हस्ताक्षर नहीं होकर गीता पत्नि प्रहलाद के हस्ताक्षर हैं, जो विधिवत तामिल नहीं है। प्रकरण में पक्षकारों की विधिवत तामिल कराये बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नजीर 2015 डी.एन.जे. (एस.सी.)1088 पेज 106 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तय कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है। परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 19.9.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उपरोक्तानुसार पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
प्रतिरिक्त सभागायुक्त
आति. सम्भागायुक्त
जयपुर